

18/10/17

Online Entry

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 492/2017.....

धारा 107 द.प्र.स.

दिनांक

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पत्र पर की गई कारवाई

योगेन्द्र शर्मा बनाम विरेंद्र राम

27/4/17

झाँचा

धाना अप्राथमिकी सं० 11/17

15/5/17

प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी

23/5/17

स० अ०नि०/अ०नि० झाँचा ने जाँच कर अपना

02/6/17

प्रतिवेदन धाना प्रभारी झाँचा धाना एवं

14/6/17

अ० निरी० झाँचा ने अग्रसारित किया

29/6/17

है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच 3 अक्षर/शरणा

13/7/17

चिक्की करने को

28/7/17

..... लेकर

14/8/17

तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति

31/8/17

भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा

13/9/17

सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव

23/9/17

व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती

3/10/17

है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107

14/10/17

द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ

28/10/17

कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 18.10.17 को 10.30 बजे

11/11/17

पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं

समाप्त

लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो

समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी

धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी

धनबाद